SNo 5

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No.HQ/PIO/RTI/141/13 **Date: 22.07.2013**

Sh. Shyamji & Sh. Ghanshyamji,
Kasba & Post- Roora,
Dist.-Kanpur Dehat,
Pin-209303.

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref: Your application dt. 10-06-2013 received in this office on 17-06-2013

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग से प्राप्त मदवाईज सूचना निम्नलिखित है :–

मद सं0 1– आपको अवगत कराया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी आपत्ति दिनांक 15.07.08 का निस्तारण किया गया था जो कि 08.02.10 ग्राम रूरा के अवार्ड में सम्मिलित है। जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (संलग्न–1) एवं दिनांक 06.03.2009 दिनांक की कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

मद सं0 2– ग्राम रूरा के आप द्वारा वर्णित गाटों में रेलवे की अप लाइन के सेंटर से 38 मीटर दूरी अंदर तक भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित हैं ।

मद सं0 3– आप द्वारा वर्णित गाटाओं से कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका विवरण कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा हैं –

क्रं सं0	ग्राम	गाटा सं0	रकबा वर्ग मी0 में		कुल रकबा वर्ग मी0 में
			प्रथम गजट में	एडीशनल गजट में	
1.	रूरा	1090	770	0.0250	1020
2.		1098	260	.	260
3.		1097	410	.	410
4.		1096	50	.	50
5.		1099	410	.	410
6.	जगदीशपुर	25	.	200	200
				कुल रकबा	2350

अतः आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गाटा सं0 1105 एवं 1104 ग्राम रूरा परियोजना में प्रभावित नही हो रहा है।

2217

DESPATCH

मद सं0–4, 5 एवं 6 आपके गाटे से संबंधित भूमि का प्रतिकर एवं वृक्षों के प्रतिकर का विवरण अभिलेखों के अनुसार निम्न प्रकार से है–

कं सं0	ग्राम	गाटा सं0	रकबा वर्ग मी0 में	भूमि का प्रतिकर सोलेसियम 60: रू0 में	एक्सग्रेशिया रू0 में	5 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से 2 माह का प्रतिकर पर ब्याज	वृक्षों का मूल्य रू0 में	कुल प्रतिकर (5+6+7+8)	चेक सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रूरा	1090	770	152152.00	20000.00	19438.70	42235.00	233825.70	13248, 34077
2			250	79040.00	0.00	0.00	0.00	79040.00	60614
3.		1098	260	51376.00	0.00	6574.80	14372.00	72322.80	13250, 34074
4.		1097	410	81016.00	0.00	8101.60	0.00	89117.60	13246, 34075
5.		1096	50	9880.00	0.00	1960.90	9729.00	21569.90	13247, 34076
6.		1099	410	81016.00	20000.00	11022.60	29210.00	141248.60	13249, 34073
7.	जगदीशपुर	25	200	31616.00	0.00	0.00	0.00	31616.00	गाटे से संबंधित प्रपत्र प्रार्थी द्वारा नही जमा किये गये है जिस कारण भुगतान नही किया गया है। प्रपत्र जमा होने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।
कुल			2350	486096.00	40000.00	47098.60	95546.00	668740.60	

अतः आपको उपरोक्त में वर्णित गाटों में से केवल एक गाटे का भुगतान प्रपत्र न होने के कारण नही किया गया है अन्यथा सभी गाटों का भुगतान आपको उपरोक्त में अंकित चेकों के द्वारा किया जा चुका हैं।

मद सं0–7 आपको स्पष्ट किया जाता है कि आपके मुआवजे की दर रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के आधार पर निर्धारित की गई है। अधिकृत की गई भूमि के मुआवजे की दर 20ए का गजट में प्रकाशन दिनांक से पहले के सर्किल रेट एवं पिछले तीन साल के औसत रजिस्ट्री रेट के आधार पर जो भी अधिकतम है के आधार पर किया गया है तथा आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमि की दर का निर्धारण सर्किल रेट एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के प्रकार की प्रविष्टियों के आधार पर किया जाता है।

मद सं0–8 आप की ग्राम रूरा में अधिग्रहीत भूमि पर अप रेलवे लाइन से 38 मी0 की दूरी तक सीमांकन है एवं जगदीशपुर में 44 मी0 की दूरी तक सीमांकन हैं ।

मद सं0–9 रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत सुविधा संकर्म का प्रावधान है, यदि कोई जलधारा, तालाब, रास्ता आदि प्रभावित होता है तो उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

मद सं0–10	अधिग्रहीत भूमि को दर्शाने वाला जे0एम0एस0, 20ई एवं राजस्व ग्राम मानचित्र की प्रति संलग्न है (संलग्नक–2, 3 एवं 4)। इस शिकायत पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आप की समस्या अधिग्रहण से अधिक भूमि पर सीमांकन की है, जिसका निराकरण स्थलीय जांच से ही हो सकता है जो शीघ्र ही करा दिया जाएगा।

DA/ As above

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Kanpur